

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :- 7/वि०-02-02/2017 (Part File) - 54 (1/1) राँची, दिनांक :- 23/11/23

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से
प्रामाणित

महालेखाकार,
झारखण्ड, डोरण्डा, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना अन्तर्गत 'प्रशिक्षण व्यय' मद से जनजातीय क्षेत्र उपयोजना शीर्ष के अधीन राँची पश्चिम प्रमण्डल अन्तर्गत Providing Computer Training to 32 Junior Engineers के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 2.40 लाख (दो लाख चालीस हजार रुपये) मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, राँची पश्चिम, राँची अन्तर्गत Providing Computer Training to 32 junior Engineers के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 2.40 लाख के प्राक्कलन पर कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, राँची पश्चिम, राँची के द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया है।

2. उक्त तकनीकी स्वीकृत प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में राशि रुपये 2.40 लाख (दो लाख चालीस हजार रुपये) मात्र पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी विवरणी निम्न है :-

(राशि लाख में)			
क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	Providing Computer Training to 32 junior Engineers.	2.40	2.40

(दो लाख चालीस हजार रुपये)

- स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष- 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय; उप-मुख्य शीर्ष- 01- जल पूर्ति; लघु शीर्ष- 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना; उप शीर्ष- 02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से); उप योजना शीर्ष- 01- ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना; विस्तृत शीर्ष- 03- प्रशासनिक व्यय; 35- प्रशिक्षण व्यय (विपत्र कोड- 36S42150179602010335) शीर्ष के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में उपबन्धित राशि रुपये 05.00 लाख मात्र से होगा।
- योजनान्तर्गत व्यय होने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, राँची पश्चिम, राँची होंगे और राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जाएगी।
- योजना का लेखा संधारण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतीकरण संबंधित कार्यपालक अभियंता करेंगे तथा संबंधित अधीक्षण अभियंता स्वयं इसकी जाँच कर पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि कराये गए कार्यों का भौतिक सत्यापन कर कार्यपालक अभियंता से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र से पूरी तरह संतुष्ट होने के उपरान्त ही एक उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को समर्पित करेंगे।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देंगे कि किसी अन्य योजना की निधि से इस कार्य का न तो दोहरीकरण हुआ है और न होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में इस योजना की राशि का विचलन अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जायेगा।

9. योजना के नियंत्री पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।
10. सभी कार्यपालक अभियंता (सिविल/मेकेनिकल) अपने-अपने दायित्व का निर्वहन विभागीय निर्देशों के अनुरूप करेंगे। दोनो अधीक्षण अभियंता (सिविल/मेकेनिकल) पूर्णतः निगरानी करेंगे।
12. वित्त विभाग के पत्रांक— 2561, दिनांक— 17.04.98, पत्रांक— 1800, दिनांक— 15.07.2003 एवं पत्रांक— 2093, दिनांक— 21.07.2016 के निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 का अनुपालन किया जायेगा।
13. योजना की स्वीकृति मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के पत्रांक— 301, दिनांक— 11.03.2015 के क्रम में दी जा रही है।
14. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
15. यह आवंटनादेश नहीं है, इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

(मनीष रंजन)

सरकार के सचिव।

54 (1st)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :- 23/11/23

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संबंधित माननीय सांसद और माननीय विधायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/उपायुक्त, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, राँची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संयुक्त सचिव (प्र०को०)/अवर सचिव (प्रशाखा- 03)/कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, राँची पश्चिम, राँची/अवर सचिव-07/प्रशाखा पदाधिकारी- 07/वरीय सचिवालय सहायक/राज्य समन्वयक (IT M&E) SPMU को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(मनीष रंजन)

सरकार के सचिव।

22/11/23